न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी — संजय गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0—299 / 08

फूलनदेई पत्नी श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

..............................वादिया

बनाम

1. छीतरिया पुत्र गिर्राज
2. अनारीलाल पुत्र गिर्राज
3. श्यामा पुत्र वालू
4. टौनी पुत्र रामभरोसी
5. ओमा पुत्र निनुआ
6. सूखी पुत्र दुर्जन
7. मूली पुत्र दुर्जन
8. नारायनसिंह पुत्र भलुआ
9. तारा पुत्र श्रीपति
10. लट्टे पुत्र श्रीपति
11. सूरजभान पुत्र निनुआ
12. भगवानसिंह पुत्र वावू
13. गुपाल पुत्र रामभरोसी
14. राजू पुत्र दुल्ली
15. रामप्रसाद पुत्र दुर्जन
16. रामदास पुत्र भजनलाल
17. रामभजन पुत्र वेदो
18. सहावो पुत्र नत्थी

जाति धीमर निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

19. पप्पू पुत्र वावू जाति धीमर निवासी चिकसाना तह0 व जिला भरतपुर।

........................प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः—05.07.2019

वादिया ने दावा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 इस प्रकार पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर हाल 2203 / 0.32 एयर वाके ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जिसकी वादिनी काबिज खातेदार काश्तकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादिनी के खिलाफ एक गिरोह बना रखा है और नाजायज रूप से आराजी की पश्चिम दिशा में कब्जा करना चाहते हैं।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.06.2008 को आराजी मुतनाजा में गोबर कण्डा थापने और लट्ठ के बल पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। अगर प्रतिवादीगण अपनी धमकी में सफल हो गए तो वादिनी को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। वदी वजह वादिनी हुक्म इम्तनाई दवामी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी करा पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण आराजी पर कण्डा उपला वगैरह न थापे व कब्जा नहीं करें व मदाखलत मजाहमत नहीं करें व किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

इस प्रकार वादिया द्वारा दावा पेश कर निवेदन किया है कि हुक्म इम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को इस कद्र पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे व खाद न डाले व उपला कण्डा नही थापें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे हकूक वादिया पर जवाल आवे। वादिया ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2064–67 एवं मौका पर्चा दि0 07.07.2008 की नकलें पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 एवं 12 लगायत 19 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और इनके द्वारा दिनांक 20.04.2010 को अपना जवाब पेश किया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 11 को तर्क करने पर दावा व जवाब दावा के आधार पर पत्रावली में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईं–

<u>तनकी नं. 1 –</u> ''आया वादिया विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2203/0.32 की काबिज खातेदार काश्तकार है।'' ....वादिया

<u>तनकी नं. 2 –</u> ''आया वादिया को प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.06.2008 को आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर लेने की धमकी दी है।''........वादिया

<u>तनकी नं. 3 –</u> ''आया वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने की अधिकारी है।'' ....वादिया

<u>तनकी नं. 4 –</u> ''आया वादिया का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न अब तक है तथा न ही विवादित आराजी काबिल काश्त के है।''

................प्रतिवादीगण

<u>तनकी नं. 5 –</u> ''कब्जे के अभाव में दावा वादिनी काबिल खारिज के है।''

6. दादरसी।

तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में स्वयं वादिया का शपथ पत्र पेश हुआ। अन्य साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतः दिनांक 26.11.2012 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। किंतु बार–बार अवसर

देने के उपरांत भी साक्ष्य प्रतिवादी न आने पर दि0 17.12.2015 को साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस के दौरान उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित हुए किंतु अभिभाषक प्रतिवादीगण ने No Instruction किये जाने पर बहस नहीं की गई। वादिया के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादिया ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादिया डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की गई।

अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नं. 1 – ''आया वादिया विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2203/0.32 की काबिज खातेदार काश्तकार है।'' – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2203/0.32 वाके ग्राम चिकसाना पर वादिया काबिज खातेदार काश्तकार है। और जमाबंदी संवत 2061–67 में वादिया के उक्त आराजी में इंद्राज भी हैं किंतु वादिया ने यह नहीं बताया है कि उक्त आराजी वादिया को किस प्रकार से प्राप्त हुई है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2203/0.32 वाके ग्राम चिकसाना का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.06.2002 को शिवराम शर्मा को किया गया है और उक्त आवंटन आदेश को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में चुनौती दी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा यह तथ्य भी अंकित किया है कि आराजी पर काश्त नहीं हुई है। प्रतिवादीगण का आराजी पर कब्जा है। आराजी पर प्रतिवादीगण के बिटौरा व पेड लगे हुए हैं। काश्त हो पाना संभव नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी पर वादिया का कब्जा नहीं है। वादिया द्वारा धारा 188 आर.टी.ए. का वादपत्र पेश किया है, जो बिना कब्जा के संभव नहीं है। वादिया द्वारा प्रकरण में अपने वाद पत्र के समर्थन में न तो कोई साक्ष्य पेश की गई और न ही कब्जा काश्त हेतु खसरा गिरदावरी पेश की है। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित है कि वादिया का आराजी पर कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में यह तनकी विरुद्ध वादिया तय की जाती है।

तनकी नं. 2 – ''आया वादिया को प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.06.2008 को आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर लेने की धमकी दी है।'' – इस तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादिया पर है। वादिया द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26.06.2008 को वादिया की आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी हो। साक्ष्य के अभाव में यह तनकी विरुद्ध वादिया तय की जाती है।

तनकी नं. 3 – ''आया वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने की अधिकारी है।'' – इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। तनकी सं0 1 व 2 के निर्णय से यह साबित हो चुका है कि आराजी पर वादिया का कब्जा नहीं है। इस कारण कब्जे के अभाव में वादिया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

<u>तनकी नं. 4 –</u> ''आया वादिया का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न अब तक है तथा न ही विवादित आराजी काबिल काश्त के है।'' – इस तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। तनकी सं0 1 में यह सिद्ध हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी पर वादिया का कब्जा नहीं है और आराजी पर अपनी कब्जे काश्त बावत कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 5 –</u> ''कब्जे के अभाव में दावा वादिनी काबिल खारिज के है।'' – तनकी सं0 1 लगायत 4 के निर्णय में यह तय किया जा चुका है कि आराजी पर वादिया का कब्जा नहीं है। काश्त बावत भी वादिया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तनकी वहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. दादरसी – चूंकि तनकी सं. 1,2,3 विरुद्ध वादिया तय की गई हैं तथा तनकी सं0 4,5 वहक प्रतिवादीगण निर्णित की गई हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार कब्जे के अभाव में वाद वादिया काबिल खारिज के है।

<u>अतः आज्ञा है कि–</u>

वाद वादिया कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official